

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

पत्रांक 1679 / 5-8 कौशाम्बी, दिनांक मार्च 08 2017।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-94 (मूरतगंज-महेवाघाट मार्ग) के किमी० 30 से 31 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम सरसवां, तसहील मंझानपुर, परगना अथरवन के अराजी सं०- 1530मि० पर एच०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0. 08471 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक 1755 / 11-सी-एफ०पी० / यू०पी० / Others / 21706 / 2016 दिनांक 20.02.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ओ०पी० अम्बष्ट)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।


संख्या 1679 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा०वा०, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ०पी० अम्बष्ट)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

## प्रमाण— पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-94 (मूरतगंज-महेवाघाट मार्ग) के किमी० 30 से 31 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम सरसदां, तसहील मंझानपुर, परगना अथरवन के अराजी सं०- 1530मि० पर एच०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.08471 हे० संरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 में उल्लिखित बिन्दुओं का शत प्रतिशत अनुपालन किया गया है तथा उसी के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

  
(ओ०पी० अम्बष्ट)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी  
